

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

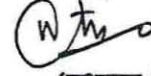
(कर अनुभाग)

जयपुर, दिनांक :

12 DEC 2025

सं. एफ. 2(60)वित्त/कर/2007 पार्ट-119:- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प. 2(60) वित्त/कर/2007 पार्ट-119 दिनांक 02.12.2025 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण के सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,



(नथमल डिडेल)

संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, दिनांक : दिसम्बर 02, 2025

रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2021 (2025 का अधिनियम सं. 1) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, 02.12.2025 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस पर उक्त अधिनियम के समस्त उपबंध प्रवृत्त होंगे।

(सं. एफ. 2(60)वित्त/कर/2007 पार्ट-119)

राज्यपाल के आदेश से,

हO

(नथमल डिडेल)

संयुक्त शासन सचिव"

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सॉफ्ट कॉपी सहित आसाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें। कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपको प्रकाशन के लिए प्रेषित सॉफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी एक समान हैं।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (कराधान), राजस्थान, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
6. एसएलबीसी, राजस्थान, बैंक ऑफ बडौदा, जोनल ऑफिस, छठा तल, बडौदा भवन, प्लॉट नम्बर 13, एयरपोर्ट प्लाजा, दुर्गापुरा, टोंक रोड़, जयपुर।
7. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव